<u>न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्याय कक्ष सं० 2/</u>
<u>अपर सिविल जज(सी०डि०) रामपुर।</u>

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रा० पत्र सं०–
सी.एन.आर. नं०–UPRP04–
रजि०सं०–253/2026

सरकार बनाम अकरम उर्फ कालिया

धारा– 109(1)बी०एन०एस० व 3/25 आयुध अधिनियम
थाना–स्वार, जिला रामपुर।
मु०अ०सं०–154/2026

<u>04.05.2026</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **अकरम उर्फ कालिया** द्वारा मु०अ०सं० 154/2026 अन्तर्गत धारा– 109(1)बी०एन०एस० व 3/25 आयुध अधिनियम, थाना स्वार, जिला रामपुर के मामले में प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त उक्त मामले में गिरफ्तार होकर न्यायालय में उपस्थित है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी ने कथित कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी को मुकदमा उपरोक्त में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने कोई आपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी मुकदमा उपरोक्त में सजायाफ्ता नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत की याचना की गई है।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध कर कथित अपराध अजमानतीय व गंभीर प्रकृति का है एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, का कथन किया गया है।

उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया। अभियुक्त उक्त मामले में गिरफ्तार होकर न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्त के विरूद्ध कथित अपराध गंभीर व गैर जमानतीय प्रकृति का है एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः सम्पूर्ण मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिकथित अपराध की गंभीरता एवं प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना न्यायालय की राय में आधार जमानत पर्याप्त नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त **अकरम उर्फ कालिया** द्वारा मु०अ०सं० 154/2026 अन्तर्गत धारा– 109(1)बी०एन०एस० व 3/25 आयुध अधिनियम, थाना स्वार, रामपुर के मामले में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(आशीष कुमार)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्याय कक्ष सं० 2/
अपर सिविल जज(सी०डि०) रामपुर।
ID No. UP2579